

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संशोधित आदेश

सं० सं०-17/ए 2-03/2020-

पटना, दिनांक- / / 2026

विभागीय आदेश संख्या-1149(17), दिनांक-30.11.2022 द्वारा डा० विनय कुमार, तत्कालीन सह-प्राध्यापक (संविदा-BIIS), शिशु रोग विभाग-सह-विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया जी सम्प्रति सह-प्राध्यापक (नियमित), शिशु रोग विभाग नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के दिनांक-09.08.2016 से 12.04.2017 तक कुल-60 दिनों का स्वीकृत उपार्जित अवकाश (विभिन्न अवधियों के लिए) एवं दिनांक-13.04.2017 से 30.08.2019 तक कुल-150 दिनों की स्वीकृत असाधारण अवकाश (विभिन्न अवधियों के लिए) में संशोधन करते हुए निम्नवत अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है -

- (i) दिनांक-09.08.2016 कुल-01 (एक) दिन - उपार्जित अवकाश के रूप में।
 - (ii) दिनांक-10.08.2016 से 30.09.2019 तक (विभिन्न अवधियों में) कुल-209 (दो सौ नौ) दिन - असाधारण अवकाश के रूप में।
2. उक्त विभागीय आदेश संख्या-1149(17), दिनांक-30.11.2022 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
3. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापक -17/ए 2-03/2020-

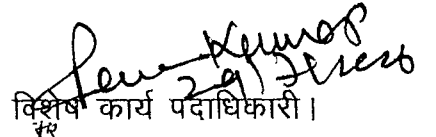
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, नि० (वे०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना एव गया जी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा० विनय कुमार, तत्कालीन सह-प्राध्यापक (संविदा-BIIS), शिशु रोग विभाग-सह-विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया जी सम्प्रति सह-प्राध्यापक (नियमित), शिशु रोग विभाग, नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।